

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

एल0पी0ए0 संख्या 476 / 2014

में

सी0एम0पी0 संख्या—165 / 2019

सुनील कुमार पाण्डेय, उम्र लगभग 33 वर्ष, स्वर्गीय अवध पाण्डेय के पुत्र, गाँव—टुंडी, डाकघर—लोहंडी, थाना—चौपारन, जिला—हजारीबाग, झारखंड के निवासी हैं।याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, परियोजना भवन, डाकघर और थाना—धुर्वा, जिला—रांची
2. पुलिस महानिदेशक, डाकघर और थाना—धुर्वा, जिला—रांची
3. पुलिस उप—महानिरीक्षक, उत्तर छोटानागपुर, डाकघर, थाना और जिला—हजारीबाग
4. उप—पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), डाकघर, थाना और जिला—रांची
5. पुलिस अधीक्षक, डाकघर, थाना और जिला—कोडरमा
6. पुलिस अधीक्षक, डाकघर, थाना और जिला—गिरिडीह
7. जिला शिक्षा अधीक्षक, डाकघर, थाना और जिला—हजारीबाग

.....उत्तरदातागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0एन0 पटल

माननीय न्यायमूर्ति श्री बी0बी0 मंगलमूर्ति

अपीलार्थी के लिए : श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए :श्रीमती चंद्र प्रभा, एस0सी0—I

श्री अरविंद कुमार, एस0सी0—I के ए0सी0

02 / दिनांक: 16 अप्रैल, 2019

मौखिक आदेश

डी0एन0 पटेल, न्याया0 के अनुसार

1. यह सिविल विविध याचिका एल0पी0ए0 सं0-476/2014 में दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को इस न्यायालय द्वारा पारित 15,000/- रुपये का कॉस्ट जमा करने के आदेश का समय बढ़ाने हेतु दायर किया गया है।
2. कॉस्ट जमा करने का समय इस न्यायालय द्वारा पहले ही बढ़ाया गया था और अब यह आवेदक (मूल अपीलकर्ता) के वकील द्वारा निवेदन किया जाता है कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष 15,000/- रू0 कॉस्ट जमा की गई है।
3. इस सबमिशन के मद्देनजर, इस सिविल विविध याचिका की अनुमति है और इसका निपटान किया जाता है।

एल0पी0ए0 संख्या 476/2014

यह लेटर्स पेटेंट अपील पहले ही 20 नवंबर, 2018 के आदेश द्वारा निपटाया जा चुका है।

(डी0एन0 पटेल, न्याया0)

(बी0बी0 मंगलमूर्ति, न्याया0)